दिनाँक : 12.03.2026,

पत्रावली पेश हुई।

अंगीकरण के प्रश्न पर प्रतिवादी संख्या–1/अपीलार्थी एवं वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील प्रतिवादी संख्या–1/अपीलार्थी द्वारा मूल वाद संख्या–499/2022 सुनील कुमार सिंह बनाम राधा देवी वगैरह में विद्वान सिविल जज (सी.डि.), चन्दौली द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 14.01.2026 के विरुद्ध योजित किया गया है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँकित 14.01.2026 द्वारा वादी का प्रार्थना–पत्र 50ग स्वीकार किया गया है। दौरान बहस प्रतिवादी संख्या–1/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रुप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चाहे प्रार्थना–पत्र 50ग जा.दी. की धारा–151 के तहत भी दिया गया हो तो भी प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को देखा जाना होता है। धारा, नियम, आदेश आदि महत्वहीन होता है, भले ही प्रार्थना–पत्र 50ग वादी द्वारा जा.दी. की धारा– 151 के तहत दिया गया है, उसकी प्रकृति जा.दी. के आदेश–39 नियम– 1 व 2 का है। जबकि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना–पत्र 50ग जा.दी. के आदेश–39 नियम 1 व 2 की प्रकृति का नहीं है बल्कि वह प्रार्थना–पत्र धारा– 151 जा.दी. के तहत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनाँकित 14.01.2026 उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है, जो जा.दी. के आदेश–39 नियम– 1 व 2 की परिधि में आता है। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अंगीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादी संख्या–1/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अंगीकृत किया जाता है। बतौर प्रकीर्ण सिविल अपील मूल नंबर पर दर्ज रजिस्टर हो। विपक्षी संख्या–2 लगायत 12 को नोटिस जारी हो। अपीलार्थी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग/बहस दिनाँक 02.04.2026 को पेश हो।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,

चन्दौली।